2

# वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक उत्पादन और बजटीय परिणाम

**2.1** पिछले दो वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत बजट प्रावधानों तथा व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

(करोड़ रु. में)

| वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | व्यय | सं.अ. के संबंध में व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 550.00 | 500.00 | 473.87 | 94.77 |
| 2015-16 | 551.00 | 551.00 | 514.25 (दिसम्बर 2015 तक) | 93.33 |

तालिका सं. 2.1

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, 550.00 करोड़ रुपये की बजटीय राशि को घटाकर संशोधित अनुमान में 500 करोड़ रु. कर दिया गया था, जिसमें से 473.87 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग हो गया था। शेष व्यय न की गई 26.13 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनिवार्य प्रावधान (22.23 करोड़ रुपए) के लिए थे। चालू वित्त वर्ष (2015–16) का योजनागत आबंटन 551 करोड़ रुपये है। इस राशि में से 514.25 करोड़ रु. जनवरी, 2016 तक उपयोग में लाए गए हैं जो कि कुल योजना आवंटन का 93.33 प्रतिशत है। तथापि, ठोस व्यय रूपरेखा के बावजूद वित्त वर्ष 2016–17 के लिए योजना आबंटन को कम करके 300.00 करोड़ रु. पर लाया गया है।

**2.2** 61.00 करोड़ रुपये का गैर–योजनागत बजट (2016–17) मुख्यतः सचिवालय (आर्थिक सेवाओं), कोयला नियंत्रक के संगठन, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अधीन अपेक्षित सांविधिक रूप से सरकारी अंशदानों के भुगतान तथा कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए नव गठित नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अपेक्षित निधियों के लिए हैं।

**2.3** कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक योजना (2016–17) घटक 16343.92 करोड़ रुपये है, जिसका आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से प्रावधान किया जाना है। पीएसयू–वार बजट आबंटन और व्यय का व्यापक ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है:–

(करोड़ रु. में)

| पीएसयू के नाम | 2014–15 | | | 2015–16 | | | 2016–17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ब.अ. | सं.अ. | व्यय | ब.अ. | सं.अ. | व्यय (दिस.15 तक) | ब.अ. |
| सीआईएल | 5225.00 | 5225.00 | 5173.49 | 5990.50 | 6800.00 | 3334.04 | 7765.00 |
| एनएलसी | 2936.00 | 2520.00 | 1969.76 | 4205.00 | 2963.00 | 1687.24 | 6278.92 |
| एससीसीएल | 3850.00 | 3760.00 | 2809.00 | 2390.00 | 3550.00 | 1134.85 | 2300.00 |
| **कुल** | **12011.00** | **11505.00** | **9952.25** | **12585.50** | **13313.00** | **6156.13** | **16343.92** |

तालिका सं. 2.2

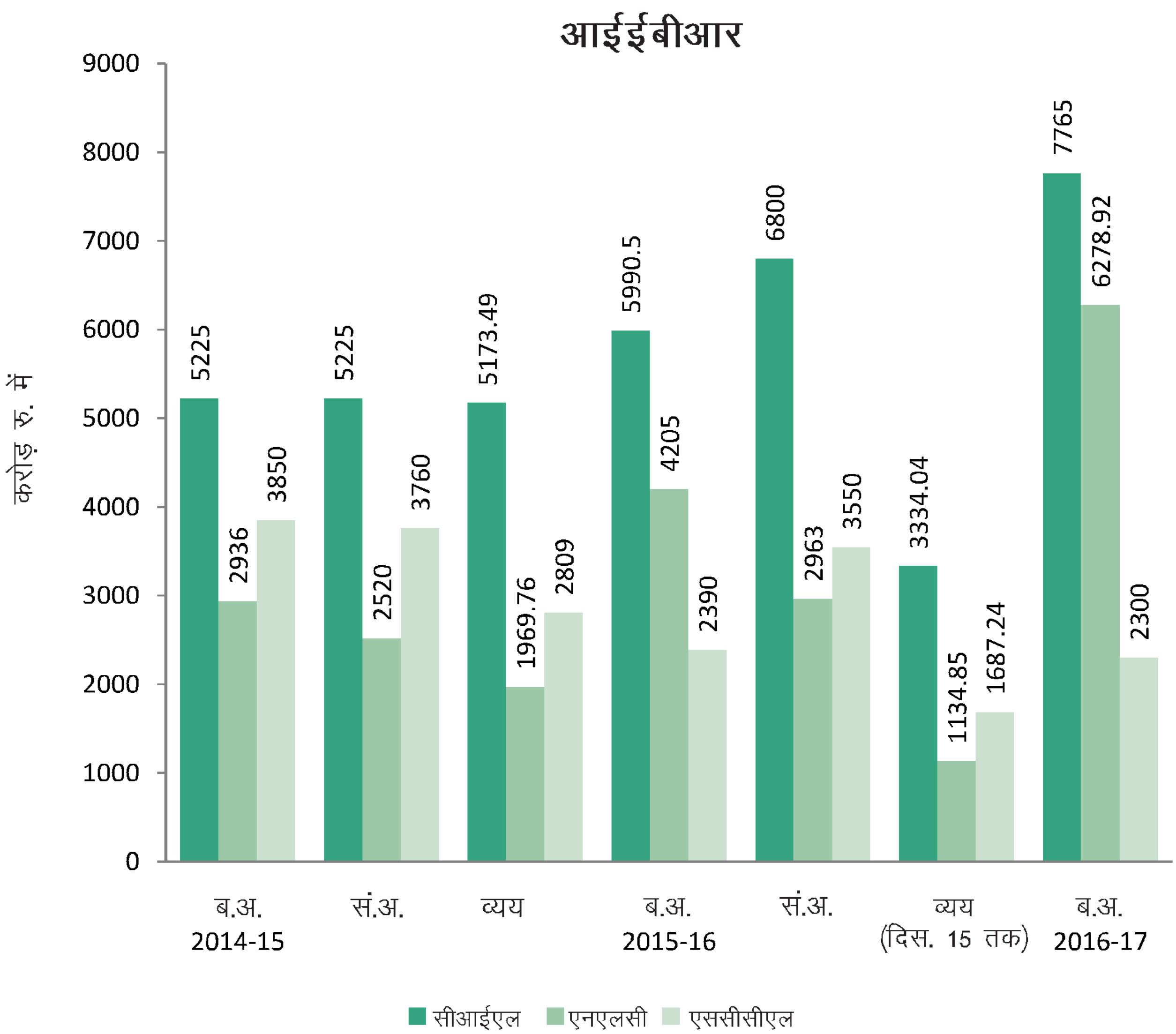

**2.4** चालू वित्त वर्ष (2016–17) के स्कीम–वार योजनागत तथा गैर–योजनागत आबंटन एवं पीएसयू के आईईबीआर प्रावधान नीचे दिए गए हैंः–

(करोड़ रु. में)

| क्र. सं | स्कीम /कार्यक्रम का नाम | योजना | गैर योजना | * आईईबीआर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सचिवालय आर्थिक सेवाएँ | 0.00 | 23.41 | 0.00 |
| 2. | सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आंशिक प्रतिपूर्ति सहित कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (सीएमपीएस 98) | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
| 3. | कोयला नियंत्रक संगठन | 0.00 | 9.63 | 0.00 |
| 4. | नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
| 5. | कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | कोयला तथा लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वेषण | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | गैर–सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण | 89.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान | 0.00 | 1100.00 | 0.00 |
| 12. | सार्वजनिक उद्यम में निवेश | 0.00 | 0.00 | 16343.92 [सीआईएल=7765.00 एससीसीएल=2300.00 एनएलसी=6278.92] |
| 13. | **कुल** | **300.00** | **61.00** | **16343.92** |

**तालिका सं. 2.3**

**2.5** योजनागत तथा गैर–योजनागत आबंटनों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के आईईबीआर प्रावधान तथा किए गए आबंटन के प्रति अनुमानित परिणामों के ब्यौरे अनुबंध–I में दर्शाए गए हैं।

अनुबंध – ।

डकोयला मंत्रालय

विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के लिए परिणामी बजट (2016–17)

(करोड़ रु. में)

| क्र. स. | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय (2016–17) | | | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया की समय–सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | *आईईबीआर | | | |
| 1. | **सचिवालय आर्थिक सेवाएं** | सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए योजनागत प्रावधान। गैर–योजनागत प्रावधान वेतन तथा भत्तों की अदायगी, कार्यालय खर्चों , चिकित्सा, यात्रा एवं प्रकाशन संबंधी व्ययों की पूति के लिए है' | 0.00 | 23.41 | 0.00 | ई–शासन और आनलाइन कार्य–वातावरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। इसके अलावा, कोयला ब्लॉकों और कोयला लिंकेज से सम्बद्ध समेकित डाटाबेस का विकास करने के लिए एक अत्याधुनिक परियोजना शुरू की है। गैर–योजनागत प्रावधानों के लिए, वास्तविक परिणामों की मात्रा (अनिवार्य रूपसे प्रशासनिक स्वरूप के नेमी कार्य की वजह से) को निर्धारित नहीं किया जा सकता है' | मंत्रालय की आईटी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने से आनलाइन कार्य का वातावरण सृजित करने में सहायता मिलेगी। | ➢ मई, 16 तक कोयला क्लीयरंस पोर्टल के विकास को पूरा करना।<br>➢ मई, 16 तक एसएनए पोर्टल का विकास एवं कार्यान्वयन।<br>➢ मई, 16 तक कोयला लिंकेज प्रक्रिया के अध्ययन को पूरा करना।<br>➢ जुलाई, 16 तक क्लाउड अवसंरचना में वेबसाइट का स्थानांतरण।<br>➢ जुलाई, 16 तक कोयला ब्लॉक मॉनीटरिंग प्रणाली का विकास।<br>➢ जुलाई, 16 तक पत्र संदर्भ प्रणाली का कार्यान्वयन तथा वृद्धि।<br>➢ जुलाई, 16 तक ई–फाईल में और अधिक विषयों को कवर करने हेतु ई–ऑफिस कार्यान्वयन को बढ़ाना। |
| 2. | **कोयला खान पेंशन योजना –1998 (सीएमपीएस –98)** | सांविधिक अंशदान<br>क) सीएमपी योजना के अंतर्गत सरकारी योगदान हेतु 15.25 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है<br>ख) 7.75 करोड़ रु. का प्रावघान सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु है। | 0.00 | 23.00 | 0.00 | राशि में स्कीम के अंतर्गत सरकार की ओर से सांविधिक वित्तीय बाध्यता शामिल है जो कोष का एक भाग बनेगा। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार को स्कीम के प्रशासनिक व्यय भाग को पूरा करना होगा। | कोयला क्षेत्र में कर्मचारियो को सामाजिक सुरक्षा लाभ' | सेवा से निवृत्ति के बाद लाभ देय हैं। |

| क्र. स. | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय (2016–17) | | | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया की समय–सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | *आईईबीआर | | | |
| 3. | **कोयला नियंत्रक का संगठन** | योजनागत प्रावधान विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाने हेतु है।<br><br>गैर–योजनागत प्रावधान विभिन्न सांविधिक कार्यों को करने के लिए स्थापना लागत की पूर्ति हेतु हैं' | 0.00 | 9.63 | 0.00 | यह व्यय प्रशासनिक प्रकृति का है तथा संगठन के विभिन्न कार्यों को करने हेतु एक चल रही प्रक्रिया है। | ➢ कोलियरी की तरफ से कोयला के प्रेषण पर उत्पादन शुल्क का संग्रहण।<br>➢ 2015–16 (दिस.15 तक) वास्तविक संग्रहण 452.15 करोड़ रु. है।<br>➢ वर्ष 2016–17 का अनुमानित संग्रहण 580.00 करोड़ रु. है।<br>➢ केप्टिव कोयला ब्लॉकों की प्रगति की मॉनीटरिंग।<br>➢ कोयला वाशरियों की मॉनीटरिंग।<br>➢ निम्नलिखित के प्रकाशन के लिए डाटा संग्रहण तथा विश्लेषण–<br>➢ कोल डायरेक्टरी आफ इंडिया 2014–15<br>➢ अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2014–15 ( पहले ही प्रकाशित) तथा विभिन्न सरकारी अभिकरणों को मासिक उत्पादन रिपोर्ट।<br>➢ कोयला संरक्षण तथा विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) के अधीन आंशिक सहायता हेतु विभिन्न कोयला कंपनियों के विभिन्न दावों एवं प्रस्तावों की जांच।<br>➢ विभिन्न कोयला कंपनियों से प्राप्त खानों को खोलने की मंजूरी।<br>– 2015–16 (दिस.15 तक) 24 खानों को खोलने की अनुमति।<br>– 2015–16 के लिए अनुमानित–30<br>– नियमित नमूना जांच तथा संबंधित कोयला कंपनियों द्वारा घोषित किए गए के अनुसार कोयला ग्रेडों, खान/सीएमवार अनुमोदन।<br>➢ 31.12.2015 तक प्राप्त सांविधिक शिकायतें–78 । मामलों के समाधान के लिए कार्रवाई की गई है। मेसर्स सीआईएमएफआर द्वारा सीआईएल तथा एससीसीएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में सैम्पलिंग की जा रही है।<br>➢ सीबी (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोयला भूमि के अधिग्रहण हेतु नोटिस के विरूद्ध भू–स्वामियों से प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई तथा अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट भेजना। | लगातार चलने वाला कार्य |

| क्र. स. | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय (2016–17) | | | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया की समय–सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | *आईईबीआर | | | |
| | | | | | | | ➢ 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि के दौरान कोयला नियंत्रक ने सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत 7 अधिसूचनाओं तथा 3 अधिसूचनाओं के मामले में 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के अनंतिम आंकड़ों से संबंधित रिपोर्टें कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत की थी।<br>➢ कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसार पूर्व–कोलियरी स्वामियों को मुआवजे का भुगतान।<br>➢ वर्ष 2016–17 के लिए 50 लाख रु. अनुमानित हैं।<br>➢ कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 तथा कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 के अनुसार भुगतान आयुक्त ने दिसम्बर, 2015 तक निम्नलिखित कंपनियों को मुआवजे का भुगतान कर दिया है:– मैसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स लि. को जुलाई, 2015 में 64,37,97,751/– रु., मैसर्स सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लि. को सितम्बर, 2015 में 18,01,42,079/– रु. का भुगतान कर दिया गया है। | |
| **4.** | **नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी** | | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत सांविधिक बाध्यताओं को पूरा करना। सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 और उसके अधीन बनाए गए | अभी तक आवंटित किए गए इन कोयला ब्लॉकों से खान/लीज़ अवधि के दौरान कोयलाधारी राज्यों को 3.44 लाख करोड़ रु. का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।<br>विद्युत दरों में कमी के कारण उपभोक्ताओं को लगभग 69,310 करोड़ रु. का अतिरिक्त लाभ होने की संभावना है। | 204 कोयला ब्लॉकों में से शेष का आवंटन विपणन परिस्थितियों को देखते हुए 2016–17 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है। विकास एवं |

| क्र. स. | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय (2016–17) | | | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया की समय–सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | *आईईबीआर | | | |
| | | | | | | नियमों के अंतर्गत कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया और आवंटन करना। नीलामी / आवंटन से प्राप्त आय को एकत्र करना। कोयला खानों के पूर्व आवंटितियों को मुआवजे का भुगतान, संग्रहण एवं निपटान करना। कोयला खानों के विकास एवं उत्पादन की मॉनीटरिंग। अभी तक 74 कोयला खानों (31 नीलाम + 43 आवंटन) का आवंटन। इन कोयला ब्लॉकों से अभी तक लगभग 1489 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हो चुकी है जिसमें से संबंधित कोयलाधारी राज्यों को 1396 करोड़ रु. अंतरित कर दिए गए है। | | उत्पादन की मॉनीटरिंग एक सतत प्रक्रिया है। |

| क्र. स. | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय (2016–17) | | | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया की समय–सीमा | टिप्पणियां / जोखिम कारक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | *आईईबीआर | | | | |
| 5. | **कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा** | कोयला कंपनियों को निम्नलिखित के लिए आंशिक सहायता प्रदान करना<br>i. रेत भरायी<br>ii. सुरक्षात्मक कार्य<br>iii. आर एंड डी कार्य अप) वैज्ञानिक विकास कार्य (एसडीडब्ल्यू) | 80.00 | 0.00 | 0.00 | इससे रेत भराई के साथ डीपिल्लरिंग प्रचालन के माध्यम से कोयले के उत्खनन में सहायता मिलेगी, इस प्रकार बहुमूल्य कोयला भंडारों का संरक्षण हो रहा है। | खानों की रेत भराई से 57 लाख टन का उत्पादन, 63 लाख घन मीटर रेत की रेत भराई की जाएगी। इसके अतिरिक्त 2016–17 में 25 संरक्षण एवं 16 वैज्ञानिक विकास कार्य कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। | अधिकाशंतः सतत परियोजनाएं, शुरू किए गए कार्य के लिए भुगतान आधार पर सहायता। | (i) नये नियामक लागत के कारण रेत भराई लागत में वृद्धि।<br><br>(ii) वर्ष 2015–16 से 43 करोड़ रु. का स्पिल ओवर |
| 6. | **कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास** | सड़क, रेल और अवसंरचनात्मक विकास के लिए कोयला कंपनियों को आंशिक सहायता प्रदान करना। | 70.00 | 0.00 | 0.00 | सड़क तथा रेल संरचना के सृजन से कोलियरियों से कोयला उत्खनन में सहायता मिलेगी। | 2016–17 में 30 सड़क परियोजनाएं तथा 7 रेल परियोजनाएं की वित्त व्यवस्था की जानी है। | अधिकाशंतः सतत परियोजनाएं, रेल परियोजनाओं के लिए अग्रिम के अलावा भुगतान आधार पर सहायता | (i) तोरी–शिवुपर रेल परियोजना के लिए 115 करोड़ रु. सहित वर्ष 2015–16 से 209 करोड़ रु. का (रेल परियोजना के लिए 177.58 करोड़ रु. तथा सड़क परियोजना के लिए 31.48 करोड़ रु.) का स्पिल ओवर<br><br>(i) वर्ष 2016–17 के लिए अनुमानित दावेः–<br>04 रेल परियोजनाओं के लिए 116 करोड़ रु. तथा सड़क परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ रु. |

| क्र. स. | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय (2016–17) | | | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया की समय–सीमा | टिप्पणियां / जोखिम कारक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | *आईईबीआर | | | | |
| **7.** | **अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम** | प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु उसका सफल अंतरण | 10.00 | 0.00 | 0.00 | i) 17 परियोजनाएं चल रही होंगी जिसमें से 2016–17 में 04 परियोजनाएं पूरी की जानी है।<br><br>ii) वर्ष 2015–16 के दौरान 15 चल रही परियोजनाओं में से एक परियोजना पूरी की जा चुकी है तथा 01 परियोजना मार्च, 2016 तक पूरा हो जाने की संभावना है। उपरोक्त के अलावा एसएसआरसी द्वारा 51वीं बैठक में 4 नई परियोजनाओं का अनुमोदन दिया गया है। तथापि, संस्वीकृति पत्र की अभी प्रतीक्षा है। | प्रमुख परिणामः<br><br>ओपनकास्ट खानों में हवाई धूल की मॉडलिंग तथा रेलवे वैगन/ट्रक से साइट पर त्वरित कोयला राख एवं नमी विश्लेषक के लिए ट्रक के ऊपर लगे मोबाइल कोयला सैप्लर की डिजायन एवं विकास। | अनुसंधान परियोजनाएं आमतौर पर 2 से 4 वर्षो की अवधि की होती हैं। अलग–अलग अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई है। | चूंकि परियोजना में अनुसंधान का कार्य जुड़ा हुआ है, इसके परिणाम का आकलन उसके सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के पश्चात ही किया जा सकता है। |

| क्र. स. | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय (2016–17) | | | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया की समय–सीमा | टिप्पणियां / जोखिम कारक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | *आईईबीआर | | | | |
| **8.** | **कोयला तथा लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वेषण** | राष्ट्रीय संपत्ति सूची में शामिल करने हेतु कोयला तथा लिग्नाइट के अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय ड्रिलिंग करना। वेब समर्थित एकीकृत कोयला तथा लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली (आईसीआरआईएस आईएलआरआईएस) तैयार करना और सीबीएम संसाधनों का मूल्यांकन करना। | 50.00 | 0.00 | 0.00 | i) **ड्रिलिंग**:– 1.75 लाख मीटर<br><br>ii) **आईएलआरआईएस**: कम्प्यूटरीकरण, बोरहोल तथा 11 जीआर का विस्तृत आंकड़े प्राप्त करनाए 100 का मैप डाटा प्राप्त करना तथा 185 खानों / ब्लॉकों के लिए सर्वेक्षण संदर्भ मदों का एकीकरण और एकीकृत लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली के लिए भू–वैज्ञानिक मॉडलों का सृजन।<br><br>iii) **सीबीएम** सीबीएम अध्ययन के लिए 8 बोरहोलों में तथा शेल गैस अध्ययन के लिए 5 बोरहोलों में अध्ययन | i) 1.75 लाख मीटर की ड्रिलिंग पप) 7 जीआर की तैयारी।<br><br>ii) **आईएलआरआईएस**: बोरहोल का अधिग्रहण तथा 11 जीआर के विस्तृत आंकड़े प्राप्त करनाए 100 का मैप डाटा प्राप्त करना तथा 185 खानों / ब्लॉकों के लिए सर्वेक्षण संदर्भ मदों का एकीकरण एवं एकीकृत लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली के लिए भू–वैज्ञानिक मॉडलों का सृजन।<br><br>iii) **सीबीएम** : 8 बोरहोलों से नमूने एकत्र करना तथा सीबीएम रिपोर्टें तैयार करने हेतु डिसोर्प्शन अध्ययन तथा 5 बोरहोलों में शेल गैस अध्ययन | i) **ड्रिलिंग**: वर्ष भर में वितरित कुल ड्रिलिंग ब्लॉक की ड्रिलिंग के पूरा होने और मात्रा का विश्लेषण करने के पश्चात 7 जीआर तैयार की जानी हैं।<br><br>ii) **आईएलआरआईएस**: 11 जीआर का कम्प्यूटरीकरण, बोरहोल तथा विस्तृत आंकड़े प्राप्त करनाए 100 का मैप डाटा प्राप्त करना तथा 185 खानों / ब्लॉकों के लिए सर्वेक्षण संदर्भ मदों का एकीकरण एवं एकीकृत लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली के लिए भू–वैज्ञानिक मॉडलों का सृजन।<br><br>iii) **सीबीएम** : सीबीएम के लिए 8 बोरहोलों से कोर नमूने एकत्र करना तथा 5 बोरहोलों में शेल गैस एवं लैब में सीबीएम तथा शेल गैस मात्रा तथा अन्य मापदंडों का निर्धारण करने हेतु डिसोर्प्शन अध्ययन।<br>कोयला मंत्रालय तथा सीजीपीबी में आवधिक समीक्षा के दौरान प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है। | i) **ड्रिलिंग**: लक्ष्य की प्राप्ति वन क्षेत्रों में अन्वेषण की समय पर अनुमति तथा अनुकूल कानून व्यवस्था तथा ब्लॉकों में लिग्नाइट होने पर निर्भर होती है।<br><br>ii) **आईएलआरआईएस**: लिग्नाइट डाटाबेस, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एवं वेब पोर्टल हेतु निविदा प्रक्रिया का निष्पादन तथा आईएलआरआईएस परियोजना के लिए अनुरक्षण निविदा सहित साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की आपूर्ति।<br><br>iii) **सीबीएम** : सीएमपीडीआई तथा जीएसआई, सीबीएम अध्ययनों एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्रमशः 8 एवं 5 बोरहोलों से नमूने एकत्र करेंगे।<br><br>इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई शेल गैस अध्ययनों के लिए 5 बोर होलों से भी नमूने एकत्र करेगी। |

| क्र. सं. | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय (2016–17) | | | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया की समय–सीमा | टिप्पणियां / जोखिम कारक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | *आईईबीआर | | | | |
| **9.** | **पर्यावरण उपाय और धंसाव नियंत्रण** | आग तथा धंसाव से निपटने तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. एवं भारत कोकिंग कोल लि. के पट्टाधारी क्षेत्रों में खतरे वाले लोगों का पुनर्स्थापन | 0.50 | 0.00 | 0.00 | मास्टर प्लान के अंतर्गत चरण 1 में 41 कोलियरियों में फैले 67 आग के स्थानों से निपटने के लिए बीसीसीएल के लिए आग से संबंधित 28 स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है। | 1) झरिया कोलफील्ड में खान की आग और धंसाव का नियंत्रण।<br><br>2) खतरे वाले लोगों का पुनर्वास। | 1) मास्टर प्लान (चरण 1) प्रस्तावित आग से संबंधित 28 योजनाओं में से 4 स्कीमें पूरी कर ली गई हैं तथा शेष निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।<br><br>2.I) रानीगंज कोलफील्ड (आरसीएफ) में, सभी 141 स्थलों का जनांकिकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और 44598 परिवारों की पहचान की गई है। ईसीएल ने आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) की 270.38 एकड़ भूमि निहित की है जो लगभग 20,000 घरों को समायोजित करेगी।<br>2.2) झरिया कोलफील्ड में :–<br>i) 595 आग प्रभावित धंसाव वाले स्थलों में से 532 स्थलों का जनांकिकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है जिसमें 74354 परिवारों की पहचान की गई है।<br>ii) प्रभावित बीसीसीएल व्यक्तियों के पुनर्स्थापन हेतु निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित 25000 घरों में से 1496 घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा उसमें वे रहने लगे हैं। 4080 क्वार्टर्स | सरकार ने ईसीएल तथा बीसीसीएल के पट्टाधारी क्षेत्र में रानीगंज कोलफील्ड्स के लिए 2661.11 करोड़ रु. तथा झरिया कोलफील्ड्स के लिए 7112.11 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से मास्टर प्लान को अनुमोदित किया है। मास्टर प्लान को अनुमोदन की तारीख अर्थात अगस्त, 2009 से 10 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित करने की समयसीमा है तथा बीसीसीएल के मामले में पूर्व कार्यान्वयन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त दो वर्षों का समय है। |

| क्र. स. | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय (2016–17) | | | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया की समय–सीमा | टिप्पणियां / जोखिम कारक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | *आईईबीआर | | | | |
| | | | | | | | | निर्माणाधीन हैं। 4020 क्वाटरों के लिए कार्य आदेश अवार्ड कर दिया गया है और 2240 क्वार्टरों के लिए निविदाएं दी गई हैं।<br>iii) गैर–बीसीसीएल के खतरे वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 54159 क्वार्टरों में से 2352 क्वार्टरों का निर्माण हो गया है, 2000 एकक निर्माणाधीन हैं तथा 2000 एकक के लिए निविदाएं दे दी गई हैं।<br>3.1) आरसीएफ में अंडाल – सिंथिया कोर्ड लाईन के परिवर्तन के लिए भू तकनीकी सर्वेक्षण तथा स्थिरता विश्लेषण कर लिया गया है। अंडाल–सितारामपुर के परिवर्तन के लिए मार्ग को अंनतिम रूप देने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट एवं डीपीआर के लिए कार्य आदेश मैसर्स राइट्स को अवार्ड किया गया है। | |
| | | | | | | | 3) आग / धंसाव द्वारा प्रभावित सतही अवसरंचना का डायवर्जन। | 3.2) झरिया कोलफील्ड में आग से प्रभावित क्षेत्रों से रेलवे लाइन को शिफ्ट करने के लिए राइट्स ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और कोयला मंत्रालय ने इन मामलों की जांच करने के लिए रेलवे को एक समिति गठित करने हेतु लिखा है। | |

| क्र. सं. | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय (2016–17) | | | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया की समय–सीमा | टिप्पणियां / जोखिम कारक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | *आईईबीआर | | | | |
| 10. | **गैर–सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण** | क्षेत्रीय अन्वेषण के दौरान पता लगाए गए निर्दिष्ट/अनुमानित संसाधनों को प्रमाणित करने हेतु डाटा सृजित करने के लिए विस्तृत ड्रिलिंग करना और भू–गर्भीय रिपोर्टों को तैयार करने में उसका उपयोग करना। | 89.50 | 0.00 | 0.00 | गैर–सीआईएल ब्लाकों में 3.48 लाख मीटर की ड्रिलिंग। | i) 3.48 लाख मीटर की ड्रिलिंग<br><br>ii) 6 जीआर तैयार करना। | (i) वर्ष में 3.48 लाख मीटर ड्रिलिंग वितरित की गई।<br><br>(ii) ब्लाक की ड्रिलिंग तथा गुणात्मक विश्लेषण के पूर्ण हो जाने के बाद 6 जीआर तैयार की जाएगी। कोयला मंत्रालय में आवधिक समीक्षा के दौरान प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है। | सीएमपीडीआई, एमईसीएल तथा आउटसोर्स की गई एजेंसियों द्वारा जीआर तैयार की जानी है। |
| 11. | **कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान** | भू–वंचितों को मुआवजे का भुगतान | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | कोयलाधारी क्षेत्रों (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अधिग्रहित भूमि से कोयले का निष्कर्षण किया जाता है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। | यह एक सांविधिक आवश्यकता है। | 2016–17 | सीआईएल द्वारा सरकार के पास अग्रिम रूंप से राशि जमा करने के बाद भुगतान किया जाता है। |

| क्र. स. | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय (2016–17) | | | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य / वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया की समय–सीमा | टिप्पणियां / जोखिम कारक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | *आईईबीआर | | | | |
| 12. | **सार्वजनिक उद्यम में निवेश** | कोयला पीएसयूज द्वारा कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन वृद्धि करना तथा उसे कायम रखना। | 0.00 | 0.00 | आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर) सीआईएल–7765.00 करोड़ रु. एससीसीएल–2300.00 करोड़ रु. एनएलसी–6278.92 करोड़ रु. | परियोजनाओं का कार्यान्वयन। | चल रही परियोजनाओं के पूरा करने तथा मशीनरी के अधिग्रहण और कोयला पीएसयू द्वारा अपेक्षित कोयला उत्पादन में तेजी लाने तथा एनएलसी द्वारा लिग्नाइट उत्पादन एवं विद्युत उत्पादन। सीआईएल की वर्ष 2016–17 में कोयला उत्पादन का लक्ष्य 598.60 मि. ट. अनुमानित किया गया है, एससीसीएल का 58 मि.ट. तथा एनएलसी द्वारा 26.80 मि.ट. लिग्नाइट उत्पादन और 21567.76 एमयू विद्युत उत्पादन अनुमानित की गई है। | स्वीकृत परियोजना रिपोर्टों (पीआर) के अनुसार कार्यान्वयन तथा वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों की मॉनीटरिंग तिमाही कार्य–निष्पादन समीक्षाओं (क्यूपीआर) के दौरान तथा 100 करोड़ रु. से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की मॉनीटरिंग तिमाही आधार पर की जा रही है। | औद्योगिक संबंध, कानून और व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास,वानिकी और पर्यावरणीय मंजूरी, निकासी की त्रुटियां, आकस्मिक भूगर्भीय अशांतियां, खान दुर्घटनाएं, आपदाएं और उपस्करों की खरीद में विलंब। |

*आईईबीआर (आंतरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधन)